दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, तकास्मा आराजीयात, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 92-ए, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955

दावा संख्या- 42/2017
वाद प्रस्तुति दिनांक-27.04.2017
निर्णय दिनांक-01.10.2020

अधिवक्ता वादीगण - श्री राजाराम चौधरी
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 - श्री एन.के. शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 06 ता 08 - श्री विवेक चौधरी

निर्णय

दिनांक:-01.10.2020

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद पत्र उनवानी सद्दा बनाम अम्बालाल वगैo प्रकरण संख्या 42/2017 के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खoनo 1753 रकबा 10 बीघा 02 बिस्वा व खoनo 1754 रकबा 13 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम झिराना तहसील पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा है। जिस पर वादी काबिज होकर काश्त करते हुए चले आ रहे हैं। यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण स्व. हरदेवा के वारिसान है। वादी उक्त वर्णित आराजी के 1/3 हिस्से पर वर्षों से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। खoनo 1753 में गलत रूप से वर्तमान में प्रतिवादी न. 01 का 1/2 हिस्सा व बदरी पुत्र गंगाराम के वारिसान का अर्थात प्रतिवादी नo 02 ता 05 का 1/2 हिस्सा अंकन किया हुआ है। जो गलत है जबकि इस भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा हैं। इस कारण वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है क्योंकि यह भूमि हरदेवा की भूमि हैं। जिसमें हरदेवा के तीनो पुत्र लालू, नारायण, गंगाराम का बहिस्सा बराबर की खातेदारी कब्जा होने से वादी 1/3 हिस्से का खातेदार हैं। खoनo 1753 व 1754 कुल रकबा 23 बीघा 09 बिस्वा को मौके पर मिलाकर बहिस्सा बराबर कर रखा है तथा मौके पर दोनो खेतों को मिलाकर कुल तीन टुकडे कर रखे है। जिसमें वादी मध्य भाग में बाहमी बंटवारे के हिस्से के अनुसार काबिज है और अपने हिस्से पर काबिज रहकर वर्षो से काश्त करता चला आ रहा है। वादी ने अपने हिस्से की भूमि पर वर्षों पहले स्वयं के खर्चे से चाह का निर्माण करवाया था। जो मौके पर मौजूद हैं। उक्त चाह से वादी अपने हिस्सें की भूमि को सिंचित करता चला आ रहा हैं। वादी का दोनों खoनo 1753, 1754 की 23 बीघा 09 बिस्वा भूमि में 1/3 हिस्सा हैं इस कारण दोनो को मिलाकर कर मौके पर कब्जे के अनुसार खातेदारी की घोषणा व आपस में विभाजन तथा वर्तमान रिकॉर्ड में दुरूस्ती करने के लिए प्रस्तुत वाद डिक्री किये जाने योग्य है। वर्तमान में खoनo 1753 में जिस प्रकार अंकन हो रखा है। वह त्रुटीपूर्ण हैं। इस कारण वादी ने न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया हैं।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 की ओर से अधिवक्ता श्री एन.के. शर्मा एवं प्रतिवादी संख्या 06 ता 08 की ओर अधिवक्ता श्री विवेक चौधरी ने वकालतनाम पेश कर उपस्थित हुए तथा उक्त उनवानी प्रकरण समान आराजीयात एवं समान पक्षकार होने से संयुक्त रूप से एक ही राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि उक्त उनवानी प्रकरण में पक्षकार एक ही परिवार के सदस्य है जिनमे आपस में खून का रिश्ते का संबंध है, के मध्य आपसी सहमति एवं रजामंदी से राजीनामा हो गया हैं। आराजी खoनo 1753, 1754 कुल किता 02 कुल रकबा 23 बीघा 09 बिस्वा वाके ग्राम झिरान तहo पीपलू में स्थित हैं। जो पक्षकारों के पूर्वजों की बनायी हुई पैतृक आराजीयात है। पक्षकारों द्वारा खoनo

मोहर, आज से
सत्य प्रतिलिपि
उप खण्ड अधिकारी
पीपलू जिला टोंक

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

1753 व 1754 कुल किता 02 कुल रकबा 23 बीघा 09 बिस्वा में दोनो खेतो को मिलाकर एक खेत बना रखा हैं। जिसमें हरदेवा के तीनो पुत्र का 1/3–1/3 हिस्सा है। जिस पर वे अपने जीवनकाल तक काबिज रहे है और उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिस वर्षो से काबिज है और काश्त करते चले आ रहे हैं। ख0न0 1753 में गलत रूप से वर्तमान में प्रतिवादी न0 01 का 1/2 हिस्सा व बद्री पुत्र गंगाराम के वारिसानों का अर्थात प्रतिवादी न. 02 ता 05 का 1/2 हिस्सा गलत रूप से अंकित किया हुआ है जबकि इस भूमि में हरदेवा के तीनों वारिसों वादी व प्रतिवादीगण का 1/3 –1/3 हिस्सा है। वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी न. 01 अम्बालाल (मृतक) के वारिसों का व प्रतिवादी न. 02 ता 05 कां संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 06 ता 08 का 1/3 हिस्सा हैं। इस कारण हरदेवा के तीनों पुत्रों के वारिसान को 1/3 –1/3 हिस्सें का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक हैं क्योंकि यह भूमि हरदेवा की भूमि है जिसमें हरदेवा के तीनों पुत्रों का ही बहिस्सा बराबर की खातेदारी व कब्जा होने से हरदेवा के तीनों पुत्रों के वारिसानों को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। पक्षकारों ने ख0न0 1753 व 1754 कुल रकबा 23 बीघा 09 बिस्वा भूमि को मिलाकर बहिस्सा बराबर बंटवारा कर रखा हैं तथा मौके पर दोनो खेतों के कुल तीन टुकडे कर रखे हैं। जिसमें वादी मध्य भाग में बहामी बंटवारे के हिस्से के अनुसार काबिज है और अपने हिस्से पर काबिज रह कर वर्षो से काश्त करता चला आ रहा है। वादी ने अपने हिस्से की भूमि पर वर्षों पहले स्वयं के खर्चा से चाह का निर्माण करवाया था जो मौके पर मोजूद है। उक्त चाह के उपयोग से वादी अपने हिस्से की भूमि को सिंचित करता चला रहा है। इस चाह में अन्य किसी पक्षकार का कोई हिस्सा व किसी प्रकार का लेना देना नहीं हैं। उक्त वर्णित आराजी में हरदेवा के तीनो पुत्रों के वारिसानों का 1/3 1/3 हिस्सा है। इस कारण दोनों ख0न0 को मिलाकर मौके पर कब्जे अनुसार खातेदारी की घोषणा व आपस में विभाजन तथा वर्तमान रिकॉर्ड में दुरूस्ती करने के लिए उक्त वाद पत्र प्रस्तुत कर रखे है जो डिक्री किये जाने योग्य है वर्तमान में ख0न0 1753 में जिस प्रकार का अंकन हो रखा है जो त्रुटीपूर्ण है। उक्त प्रकरणों के संबंध में पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति एवं रजामंदी से राजीनामा हो गया हैं। उक्त वर्णित आराजी में पक्षकारान् ने मौके बंटवारा कर रखा हैं तथा मौके पर कब्जे अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है उसी अनुरूप 1/3 हिस्से का व अपने हिस्से में बनाये हुए सम्पूर्ण चाह का खातेदार सद्दा लाल पुत्र रामजीवण को तथा 1/3 हिस्से का खातेदार मृतक अम्बालाल के वारिस (हेमन्त, केदार, अनिता, मनफूल) व प्रतिवादी संख्या 02 ता 05 को (शंकर, सम्पत, सन्तरा, तुलसी) संयुक्त रूप से खातेदार तथा शेष 1/3 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 06 ता 08 (श्रवण, परसा, रतन) को संयुक्त रूप से खातेदार घोषित किया जावें। इसी अनुरूप वाद पत्र संख्या 08/2016 श्रवण बनाम अम्बालाल (मृतक) वगै., प्रकरण संख्या 49/2016 अम्बालाल (मृतक) बनाम सद्दा , प्रकरण संख्या 42/2017 सद्दा बनाम अम्बालाल (मृतक), प्रकरण संख्या 09/2016 श्रवण बनाम अम्बालाल (मृतक) निर्णित फरमाया जावें व रिसिवरी का प्रा0पत्र प्रकरण संख्या 42/2017 सद्दा बनाम अम्बालाल को मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जावें।

उभयपक्ष अधिवक्ता ने राजीनामा पेश कर बहस का निवेदन किया। हमने बहस अभिभाषक वादी एवं प्रतिवादीगण सुनी। उभयपक्ष अधिवक्ता ने मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया। उभय पक्ष अधिवक्तागण के अनुसार. नकल मिलान क्षैत्र संवत् 2028–47, नकल खसरा भू–प्रबन्ध संवत् 2022, नकल जमाबन्दी संवत् 2009–12, नकल जमाबंदी खाता संख्या 371 संवत् 2009–12, नकल जमाबंदी संवत् 2018–21, नकल जमाबंदी सन् 1942 खाता 314, 315 से यह प्रमाणित होता है कि वर्तमान ख0न0 1753 रकबा 10 बीघा 02 बिस्वा जो साबिक ख0न0 1332 मीन रकबा 05 बीघा 02 बिस्वा तथा ख0न0 1335 मीन रकबा 05 बीघा से मिलकर बना है तथा ख0न0 1754 रकबा 13 बीघा 07 बिस्वा साबिक ख0न0 1332 मीन रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा एवं ख0न0 1333 मीन रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा, 1334 मीन रकबा 12 बिस्वा, ख0न0 1335 मीन रकबा 07 बीघा से मिलकर बना हैं। जिसका अंकन पक्षकारान् के पूर्वज हरदेवा पुत्र मोडू जाति जाट के नाम जमाबंदी सन् 1942 में हो रखा हैं। जो बाद में जमाबंदी संवत् 2009–12 एवं 2018–21 में हरदेवा के वारिसान के नाम अंकन चला आ

सत्य प्रतिलिपि
उप खण्ड अधिकारी
पीपलू जिला टोंक

उप खण्ड अधिकारी
(टोंक)

Scanned with CamScanner

रहा हैं। अतः यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात पक्षकारान् की पैतृक संपत्ति है तथा कालान्तर में संहवन से राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 के पूर्वज गंगाराम के तनहा सम्पूर्ण खसरा दर्ज होना त्रुटीपूर्ण हैं। जिसके संदर्भ में पक्षकारों द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर दिया गया है। राजीनामें अनुसार दावा डिक्री किया जावें।

पत्रांवली का अध्ययन किया गया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत राजीनामें के अनुसार आराजी ख0न0 1753 व 1754 की 23 बीघा 09 बिस्वा भूमि पक्षकारों के पूर्वज हरदेवा के नाम दर्ज थी। हरदेवा के तीन संताने हुई लालू, नारायण व गंगाराम। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत् 2072–75 के अनुसार वर्तमान में ग्राम झिराना के ख0न0 1754 रकबा 13–07 बीघा हरदेवा की उक्त तीनों संतानों लालू, नारायण व गंगाराम के वारिसान के नाम हिस्सा बराबर दर्ज हैं। ख0न0 1753. में भी ख0न0 1754 के अनुरूप ही प्रविष्टिया होनी चाहिए। राजीनामें के समर्थन में दोराने बहस पेश किये गये भू–प्रबन्ध विभाग के मिलान क्षैत्र संवत् 2028–47 के अनुसार ग्राम झिराना के हाल ख0न0 1754 के साबिक नम्बर 1332 मि0 से 1335 मि0 तथा ख0न0 1753 के साबिक नम्बर ख0न0 1332 मि0 रकबा 05 बीघा 02 बिस्वा तथा ख0न0 1335 मि0 रकबा 05 बीघा से मिलकर बना है। भू प्रबन्ध विभाग की जमाबंदी संवत् 2028–47 में ख0न0 1753 मे गंगाराम पुत्र हरदेवा जाति जाट सा0दे0 दर्ज हैं। भू प्रबन्ध विभाग की संशोधन भू–माप संवत् 2022 में ख0न0 1753 मे गंगाराम जाट का नाम दर्ज हैं। इसी प्रकार ग्राम झिराना तह0 बगडी की गिरदावरी संवत् 2009–13 में ख0न0 1332 में गंगाराम वल्द हरदेवा जाट तथा ख0न0 1335 में हरदेवा वल्द मोडू जाट व गंगाराम वल्द हरदेवा जाट दर्ज हैं। जमाबंदी बंदोबस्त सन् 1942 मौजा झिराना तह0 बगडी परगना टोंक के ख0न0 1335 में हरदेवा वल्द मोडू हिस्सा 2/3 गंगाराम वल्द हरदेवा हिस्सा 1/3 कोम जाट सा.देह दर्ज हैं। पत्रावली पर उपलब्ध उक्त दस्तावेजों से स्पष्ट हैं कि विवादित आराजीयात उभय पक्ष की पैतृक भूमि है, जिसे मुताबिक राजीनामा पक्षकारान् अपने खाते में दर्ज अन्य भूमि ख0न0 1754 के अनुरूप आपस में बंटवारा करना चाहते हैं। अतः मुताबिक राजीनामा वाद पत्र सद्दा बनाम अम्बालाल प्रकरण संख्या 42/2017 को डिक्री किया जाकर ख0न0 1753 व 1754 वाके ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक में वादी सद्दा लाल पुत्र रामजीवण को 1/3 हिस्से का तनहा मय सम्पूर्ण चाह तथा प्रतिवादी संख्या 01 अम्बालाल (मृत्तक) पुत्र रामकरण के वारिस (हेमन्त, क़ेदार, अनिता, मनफूल) को 1/6 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 02 ता 05 शंकर पुत्र बदरी, सम्पत, सन्तरा, पुत्रीयॉं बदरी, तुलसी पत्नि बदरी को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 06 ता 08 श्रवण, परसा, रतन पुत्रान् नारायण को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर मुताबिक कब्जे काश्त एवं हिस्से अनुसार पृथक–पृथक खाता कायम करने का आदेश दिया जाता है। तद्अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हों। बैंक प्रभार यथावत रहेगा तथा ख0न0 1753 का बैंक प्रभार केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 01 (अम्बालाल के वारिसान), 02 ता 05 के हिस्से तक यथावत रहेगा। डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक–01.10.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। उक्त निर्णय अनुसार अन्य पत्रावलीयॉं भी निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(रवि वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू
जिला–टोंक

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

सादर, सत्य प्रतिलिपि

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू जिला टोंक

Scanned with CamScanner